



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 235]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 4, 1980/श्रावण 13, 1902

No. 235]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 4, 1980/SRAVANA 13, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(परतन पक्ष)

(Ports Wing)

अधिसूचनाएं

NOTIFICATIONS

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 1980

New Delhi, the 4th August, 1980

सा० का० नि० 464(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (2) के माध्यम से इस अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इस अधिसूचना के द्वारा नौवहन और परिवहन मंत्रालय के निदेशक (श्रम) को न्यू मंगलौर पत्तन के न्यासी मंडल में नौवहन और परिवहन मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए न्यासी के रूप में नियुक्त करती है और भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परतन पक्ष) की अधिसूचना संख्या सा०का० नि० 136(अ) दिनांक 27 मार्च 1980 में पुनः तिम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

इस अधिसूचना में क्रम संख्या 11 और तत्संबंधी प्रविष्टि के बाद नीचे लिखी क्रम संख्या और प्रविष्टि जोड़ी जाय, अर्थात् :—

“12. निदेशक (श्रम), नौवहन और परिवहन मंत्रालय
(नौवहन और परिवहन मंत्रालय का प्रतिनिधि)”

[फा० सं० पी० डब्ल्यू०/पी० टी० बी०-26/79]

[फा० सं० पी० डब्ल्यू०/पी० टी० बी०-46/79]

G.S.R. 464(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 read with sub-section (2) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints the Director (Labour), Ministry of Shipping and Transport, as a Trustee, representing the Ministry of Shipping and Transport, on the first Board of Trustees constituted in respect of the Port of New Mangalore, and makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Ports Wing) No. G.S.R. 136(E), dated the 27th March, 1980, namely :—

In the said notification, after serial number 11 and the entry relating thereto, the following serial number and entry shall be inserted, namely :—

“12. Director (Labour),

Ministry of Shipping and Transport,

(representing the Ministry of Shipping and Transport)”

[F. No. PW/PTB-26/79]

[F. No. PW/PTB-46/78]

सा० का० नि० 465(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा 2 के साथ पठित धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इस अधिसूचना के द्वारा, नौवहन और परिवहन मंत्रालय के निदेशक (एम० एम०) को टूटीकोरिन पत्तन के संबंध में गठित प्रथम न्यासी मंडल में नौवहन और परिवहन मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए न्यासी के रूप में नियुक्त करती है और भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 93(अ) दिनांक पहली मार्च 1979 को पुनः निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 15 और तत्संबंधी प्रविष्टि के बाद नीचे लिखी क्रम संख्या और प्रविष्टि जोड़ी जाय, अर्थात् :—

“16. निदेशक (एम० एम०), नौवहन और परिवहन मंत्रालय (नौवहन और परिवहन मंत्रालय के प्रतिनिधि)”

[फा० सं० पी० डब्ल्यू०/पी० टी० बी०-26/79]

[फा० सं० पी० डब्ल्यू०/पी० टी० बी०-16/78]

G.S.R. 465(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 read with sub-section (2) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints Director (MM), Ministry of Shipping and Transport, as a Trustee, representing the Ministry of Shipping and Transport, on the first Board of Trustees constituted in respect of the Port of Tuticorin and makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing No. G.S.R. 93(E), dated the 1st March, 1979, namely :—

In the said notification, after Serial Number 15 and the entry relating thereto, the following Serial Number and entry shall be inserted, namely :—

“16. Director (MM),

Ministry of Shipping and Transport,
(representing the Ministry of Shipping
and Transport).”

[F. No. PW/PTB-26/79]

[F. No. PW/PTB-16/78]

सा० का० नि० 466(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की कांडला पत्तन से संबंधित अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 263(अ) दिनांक 26 मार्च, 1979 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के नीचे दी गई संरणी में कालम 2 में “क्षेत्र के लोग” प्रविष्टि में संख्या 2 के स्थान पर संख्या 1 जोड़ी जाय और इस प्रकार संशोधन की निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाय, अर्थात् :—

प्रतिनिधित्व किए जाने वाले पक्ष का नाम	नियुक्त व्यक्तियों की संख्या
1	2
“नौवहन और परिवहन मंत्रालय	1”

[फा० सं० पी० डब्ल्यू०/पी० टी० बी०-26/79]

[फा० सं० पी० डब्ल्यू०/पी० टी० बी०-41/78]

G.S.R. 466(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (i) of clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. G.S.R. 263(E), dated the 26th March, 1979, relating to the Port of Kandla, namely :—

In the Table below the said notification, against the “People of the area”, in column 2, for the figure “2”, the figure “1” shall be substituted, and after the entry so amended, the following entries shall be inserted, namely :—

Interests to be represented	Number of the persons to be appointed.
(1)	(2)
“The Ministry of Shipping and Transport.	1”
	[F. No. PW/PTB-26/79]
	[F. NO. PW/PTB-41/78]

सा० का० नि० 467(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (2) और (6) के साथ पठित उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इस अधिसूचना के द्वारा नौवहन परिवहन मंत्रालय के उप सचिव (पत्तन यातायात) को कांडला पत्तन के न्यासी मंडल में नौवहन और परिवहन मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए न्यासी के रूप में नियुक्त करती है और नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 300(अ) दिनांक 31 मार्च 1979 में पुनः निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 16 और तत्संबंधी प्रविष्टि के बाद नीचे लिखी क्रम संख्या और प्रविष्टि जोड़ी जाय, अर्थात् :—

“17. उप सचिव (पत्तन याता- नौवहन और परिवहन मंत्रालय यात)
नौवहन और परिवहन मंत्रालय के प्रतिनिधि”

[फा० सं० पी० डब्ल्यू०/पी० टी० बी०-26/79]

[फा० सं० पी० डब्ल्यू०/पी० टी० बी०-41/78]

G.S.R. 467(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (i) of clause (c) of sub-section (1) of section 3 read with sub-sections (2) and (6) of the said section of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints the Deputy Secretary (Ports Traffic), Ministry of Shipping and Transport, as a Trustee, representing the Ministry of Shipping and Transport, on the Board of Trustees of the Port of Kandla and makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. G.S.R. 300(E), dated the 31st March, 1979, namely :—

In the said notification, after Serial Number 16 of the entry relating thereto, the following serial Number and entry shall be inserted, namely :—

“17. Deputy Secretary (Ports Traffic), Ministry of Shipping and Transport. Representing the Ministry of Shipping and Transport.”

[F. No. PW/PTB-26/79]

[F. No. PW/PTB-41/78]

सां. कां. निं. 468(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार इस अधिसूचना के द्वारा भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना संख्या सां. कां. निं. 712(अ), दिनांक 26 दिसम्बर 1979 में पुनः निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् उक्त अधिसूचना के संशोधन की गई मारणी में धूल में निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाय, अर्थात् :—

प्रतिनिधित्व किए जाने वाले पक्ष का नाम	संयुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों का संख्या
--	--

"नौवहन और परिवहन मंत्रालय	1"
---------------------------	----

[फा० सं० पी० डब्ल्यू०/पी० टी० सी० बी०-26/79]
[फा० सं० पी० डब्ल्यू०/पी० टी० सी० बी०-11/79]

G.S.R. 468(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (i) of clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. G.S.R. 712(E), dated the 26th December, 1979, relating to the Port of Paradip, namely:—

In the Table below the said notification, the following entries shall be added at the end, namely:—

Interests to be represented	Number of persons to be appointed
"The Ministry of Shipping and Transport	1"

[F. No. PW/PTB-26/79]

[F. No. PW/PTB-11/79]

सां. कां. निं. 469(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (2) और (6) के साथ पठित इसी धारा की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार इस अधिसूचना के द्वारा सचिव, नौवहन विकास निधि समिति को परावीप पत्तन के न्यासी मंडल में नौवहन और परिवहन मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए

न्यासी के रूप में नियुक्त करती है और भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (पत्तन पक्ष) की अधिसूचना संख्या 144(अ), दिनांक 28 मार्च, 1980 में पुनः निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या 13 और तत्संबंधी प्रविष्टि के बाद, नीचे लिखी क्रम संख्या और प्रविष्टि जोड़ी जाय, अर्थात् :—

"14. सचिव, नौवहन विकास निधि समिति	नौवहन और परिवहन मंत्रालय के प्रतिनिधि"
--------------------------------------	--

[फा० सं० पी० डब्ल्यू०/पी० टी० सी० बी०-26/79]

[फा० सं० पी० डब्ल्यू०/पी० टी० सी० बी०-11/79]

दिनेश कुमार जैन, संयुक्त सचिव

G.S.R. 469(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (i) of clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), read with sub-sections (2) and (6) of the said section, the Central Government hereby appoints the Secretary, Shipping Development Fund Committee, as a Trustee, representing the Ministry of Shipping and Transport on the Board of Trustees of the Port of Paradip, and makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Ports Wing) No. G.S.R. 144(E), dated the 28th March, 1980, namely:—

In the said notification, after Serial Number 13 and the entry relating thereto, the following Serial Number and entry shall be inserted, namely:—

"14 Secretary, Shipping Development Fund Committee.	Representing the Ministry of Shipping and Transport."
---	---

[F. No. PW/PTB-26/79]

[F. N. PW/PTB-11/79]

D. K. JAIN, Jt. Secy.

